

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल (भीलवाड़ा)

नोकरदार अधिकारी :- श्री सी.एल. शर्मा, आर.ए.एस.

सूकदमा संख्या :- 86/18

कैम्प - चुवाला

1- आगदीश २१० कल्याण राव निवासी - डेवपुरा उर्फ रावो कारवेड़ा, तहसील-माण्डल
-- प्रार्थी

बनाम

1- सांगीलाल २१० मृ.ह.सिंग राव निवासी - डेवपुरा उर्फ रावो कारवेड़ा, तहसील-माण्डल [वर्जित]
-- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 03-05-2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
नेवेदन किया कि ग्राम.....चुवाला..... पटवार हल्का चुवाला..... तहसील मांडल / में
सके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.573 3048/560 3052/573 कुल किता.....03.....
रकबा04 बीघा15..... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
पत्थरगढ़ी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक3.4.18..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं
है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त
आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्रामउक्त.....
पटवार हल्काउक्त..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नम्बरउक्त.....
.....उक्त..... कुल किताउक्त..... रकबाउक्त.....
बीघाउक्त..... बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी
किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकमाण्डल.....
को300/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके
पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते
हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला माण्डल

प्रतिलिपि:-तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर
पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला माण्डल